आई.सी.एम.आर. - राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान
ICMR - NATIONAL INSTITUTE FOR RESEARCH IN TRIBAL HEALTH
(स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वा, एवं परि, कल्या, मंत्रालय)
(Deptt. of Health Research, Min. of Health & F.W.)
नागपुर रोड, पो.ऑ.–गढ़ा, जबलपुर – 482 003 (म.प्र.)
Nagpur Road, P.O. - Garha, Jabalpur – 482 003 (M.P.)

नीलाम विक्रय सूचना

भा.आ.अ.प.–राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान नागपुर रोड, जबलपुर की अनुपयोगी उपकरण/सामग्री आदि 'जहां है जैसा है' के आधार पर **दिनांक–12/04/2017 को पूर्वान्ह 11.00 बजे** से संस्थान के **'मुख्य प्रयोगशाला भवन'** के सामने खुला नीलाम विक्रय (बोली लगाकर) तीन लॉटों में किया जावेगा, जिनमें क्रमशः (1) उपकरण (ब) विभिन्न वस्तुओं के स्क्रेप (स) लकड़ी प्लास्टिक एवं अन्य स्क्रेप इत्यादि होगें। इच्छुक व्यक्ति (इस संस्थान के कर्मी, उनके परिजन एवं उनके रिश्तेदारों को भाग लेने की पात्रता नहीं है) । उपकरण/सामग्री के लाट एवं नीलाम विक्रय की शर्तों को दिनांक–11/04/2017 को कार्यालय समय में एवं दिनांक–12/04/2017 को पूर्वान्ह 10.00 बजे तक संस्थान के परिसर में देख व प्राप्त किया जा सकता हैं । नीलाम विक्रय की शर्ते इस संस्थान की वेबसाइट www.nirth.res.in में उपलब्ध है।

निदेशक

दूरभाष/☎ : 2672713, 2370800, 2370818, 2672445
फैक्स/Fax : 91-761-2672835

Web-site: www.nirth.res.in
ई–मेल/e-mail: nirthjabalpur@gmail.com

आई.सी.एम.आर. - राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान
ICMR - NATIONAL INSTITUTE FOR RESEARCH IN TRIBAL HEALTH
(स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वा. एवं परि. कल्या. मंत्रालय)
(Deptt. of Health Research, Min. of Health & F.W.)
नागपुर रोड, पो.ऑ.–गढ़ा, जबलपुर – 482 003 (म.प्र.)
Nagpur Road, P.O. - Garha, Jabalpur – 482 003 (M.P.)

क्रमांक जबलपुर/रा.ज.स्वा.अ.स./भंडार/नीलामी/2016–17 दिनांक : /03/2017

नीलाम विक्रय की शर्ते

1. नीलाम विक्रय दिनांक–12/04/2017 दिन–बुधवार को पूर्वान्ह–11.00 बजे से किया जाएगा ।
2. समस्त अनुपयोगी घोषित सामग्री का नीलाम विक्रय तीन अलग–अलग लॉटों में किया जाएगा, जिनमें (अ) उपकरण (ब) विभिन्न वस्तुओं के स्केप (स) लकड़ी प्लास्टिक एवं अन्य स्केप इत्यादि होगें। बोली लगाने वालों को बोली लगाने के पहले रू. 2000/– नगद जमा करने पर ही बोली लगाने की पात्रता होगी ।
3. बोली लगाने वाले उपकरण/सामग्री का निरीक्षण दिनांक 11/04/2017 को कार्यालय समय में एवं दिनांक 12/04/2017 को पूर्वान्ह 10.00 बजे तक संस्थान के परिसर में किया जा सकता है।
4. सफल बोलीदार को उसके द्वारा बोली गई राशि को राष्ट्रीयकृत बैंक के ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक, जो **निदेशक, एन. आई. आर. टी. एच. (आई. सी. एम. आर.) जबलपुर** के पक्ष में देय होगा, जमा करके उसी दिन अपना सामान उठाना होगा । ऐसा न करने पर उसके द्वारा जमा की सत्यंकार की राशि को राजसात कर नीलाम रद्द कर दिया जाएगा, और सामग्री का पुनः नीलाम होगा । जिस पर किसी प्रकार का पत्राचार स्वीकार नहीं होगा।
5. किसी दूसरे व्यक्ति के स्थान पर बोली लगाने के पूर्व उसे न्यायालय द्वारा प्रमाणित मुख्तयारनामा प्रस्तुत करना होगा, तभी बोली लगाने की पात्रता होगी ।
6. असफल बोलीदारों को सत्यंकार की राशि उसी दिन नीलामी समाप्त होने के उपरान्त लौटा दी जायेगी।
7. नीलाम विक्रय में संस्थान के किसी कर्मचारी, परिजन या उनके रिश्तेदारों को भाग लेने की पात्रता नहीं होगी ।
8. बोली लगाने वालों द्वारा सत्यंकार की राशि जमा करने का अर्थ बोली की उक्त वर्णित शर्तों को बिना शर्त स्वीकृति समझा जायेगा ।
9. सामग्री की नीलामी में उचित कीमत न आने की दशा में या अन्य किसी कारण से नीलाम रोकने/रद्द करने का अधिकार बिना कोई कारण बताये निदेशक, **एन. आई. आर. टी. एच. (आई. सी. एम. आर.) जबलपुर** को होगा ।
10. **सरकारी बोली के आगे तथा पिछली बोली लगाने वाले से अगली बोली लगाने वाले को क्रमशः न्यूनतम 1000/– या इससे अधिक की बोली लगानी होगी।**

निदेशक